न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 46/2006 | दायर दिनांक 21.02.2006 | निर्णय दिनांक .2025

उनवान

1. रामचन्द्र वल्द नन्दरामजी विश्नोई मृतक के बजाय
   1/1 – शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
   1/2 – रामलाल पुत्र रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
   1/3 – लक्ष्मीलाल पुत्र रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा।
   1/4 – श्रीमती अणछी देवी पत्नी रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा **मृतक डिलीट**
   1/5 – श्रीमती भवंरी देवी पुत्री रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा।
   1/6 – श्रीमती प्रेम देवी पुत्री रामचन्द्र विश्नोई **मृतक के बजाय :–**
   1/6/1 – शंकरलाल, ममता, प्रकाश माता प्रेम देवी पुत्री रामचन्द्र विश्नोई।
2. भैरूलाल वल्द नंदरामजी विश्नोई नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
3. कंवरलाल वल्द नंदरामजी विश्नोई नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
4. कन्हैयालाल वल्द नंदराम विश्नोई नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा0 भीलवाड़ा
2. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादी श्री जयकुमार जैन, उपस्थित।

2–प्रतिवादी संख्या 01 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

3–प्रति0 सं0 02 की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम हरणीखुर्द पटवार क्षेत्र हरणीकला तह0 भीलवाड़ा में वादीगण के पिता नन्दराम वल्द खुमा विश्नोई के खाते व कब्जे की कृषि आराजियात निम्न प्रकार है– आराजी नम्बर 554 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 555 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 556 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 557 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 558 रकबा रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 559 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 560 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 561 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 562 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 563 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 564 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 572 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 573 रकबा 01 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 574 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 575 रकबा 04 बीघा कुल किता–15 कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित थी।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के साबिक बन्दोबस्त मे निम्न आराजी नंबर थे:- आराजी नं0 235 मी. रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा थे। उक्त साबिक नंबर मे से आराजी नं0 576 रकबा 11 बिस्वा को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि उक्त रकबा 11 बिस्वा सेटलमेट के दौरान वादीगण के नाम दर्ज होने से रह गया। जबकि उक्त रकबे पर वादीगण का निरन्तर कब्जा व काश्त है। उक्त आराजी नं0 576 रकबा 11 बिस्वा में से वादीगण के नाम 6 बिस्वा और राजस्य रेकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के नाम 16 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिये उक्त रकबे की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड में 6 बिस्वा भूमि का इन्द्राज दुरुस्ती करवाई जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जावे।

वादग्रस्त आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा जो सेटेलमेंट के दौरान बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये है जबकि मूल रूप से साबिक आराजी नम्बर 235 मी. होने से व पर्चा खतौनी (भू प्रबन्ध के दौरान) उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण के नाम 18 बीघा 19 बिस्वा कन्वर्ट होकर 16 बीघा 02 बिस्वा बनती है, लेकिन 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही दर्ज कर दी। जबकि वादीगण के नाम 16 बीघा 02 बिस्वा दर्ज होना चाहिए। वादीगण साबिक आराजी नम्बर 576 की इन्द्राज दुरूस्ती अपने नाम कराने के अधिकारी है। आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी को बिना दफा 80 जा0 दी0 का नोटिस दिए ही यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं क्योकि प्रतिवादी धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए तत्पर है। अतः उन्हे पक्षकार बनाया गया। अतः वादीगण प्रार्थना करते है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय के डिग्री पारित कराई जाए कि ग्राम हरणीखुर्द के साबिक आराजी नम्बर 235 मी0 के हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती कराई जाकर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाए। हर्जा खर्चा मुकदमा व मेहनताना वकील वादीगण को प्रतिवादी से प्रदान कराया जाए।

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए। वादपत्र का संशोधित वादपत्र दिनांक 16.03.2010 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश हुआ, जो शामिल फाईल किया गया। वादी संख्या 01 की मृत्यू होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का दिनांक 15.04.2014 को पेश हुआ। जिसे दिनांक 10.12.2014 को स्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) जा0 दी0 का दिनांक 16.02.2018 को पेश किया गया, जिसे दिनांक 21.08.2019 को स्वीकार किया गया। प्रकरण में संशोधित टाइटल पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने से एवं उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.04.2022 को जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का पेश हुआ जिसे दिनांक 06.07.2022 को 100 रूपये की कोष्ठ पर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 का जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 14.11.2022 को जवाब बंद किया गया। प्रकरण में दिनांक 16.05.2022 को निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादग्रस्त ग्राम हरणीखुर्द तहसीलदार भीलवाड़ा में वादीगण के पूर्वज नन्दराम वल्द खुमा विश्नोई के खाते व कब्जे की आ0 न0/ रकबा 554/0.08, 555/0.19, 556/0.06, 557/0.04, 558/0.03, 559/0.03, 560/0.08, 561/1.12, 562/0.03, 563/2.05, 564/1.18, 572/0.18, 573/1.01, 574/1.08, 575/4.00 कुल किता 15 कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के साबिक आ0 न0 235 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा है। साबिक आराजी में आ0 न0 576 रकबा 11 बिस्वा सेटेलमेंट के दौरान वादीगण के नाम दर्ज होने से रह गया है। इन्द्राज दुरूस्ती की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

2. आया वादग्रस्त आ0 न0 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि सेटेलमेंट के दौरान बिलानाम सरकार दर्ज कर दी, जिसे दुरूस्ती करना वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त ग्राम हरणीखुर्द आ0 न0 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज होकर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज होने से वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

प्रकरण में साक्ष्यवादी में शपथ पत्र शंकरलाल पिता रामचन्द्र विश्नोई, कन्हैयालाल पुत्र नन्दराम विश्नोई, भेरूलाल पिता नन्दराम विश्नोई के दिनांक 06.03.2023 को पेश हुए जिनका मुख्य परीक्षण करवाया गया जो पीडब्ल्यू 01, 02 व 03 है। दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। साक्ष्य बंद की गई। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं होने पर दिनांक 12.02.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में मौके व कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार भीलवाडा से तलब की गई उनके पत्र कमांक 449 दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

1. ग्राम हरणीखुर्द के आराजी संख्या 576 रकबा 11 बिस्वा जो कि वर्तमान में नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज है।
2. उक्त आराजी का मौका पटवारी हरणीकलां द्वारा दिनांक 23.05.2024 को देखा गया मौके पर उक्त आराजियात जोता हुआ पड़ा है. मौके पर थोर की बाड कर रखी है एवं मौके पर उपस्थित मौत विरानो से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंवरलाल, भैरूलाल, कन्हैयालाल पिता नन्दराम विश्नोई, शंकरलाल, लक्ष्मीलाल, रामलाल पिता रामचन्द्र विश्नोई निवासी नया समेलिया, भीलवाडा ने लकड़िया डाल रखी है।
3. आराजी संख्या 576 के उत्तर दिशा में नहर व पक्की दीवार बनी है तथा दक्षिण दिशा में राजस्व ग्राम गठिलाखेडा की सीमा लगती हुई है। इसके साथ ही पूर्व दिशा में राजस्व ग्राम हरणीकलां की सीमा लगी हुई है। उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 575 है जो कि खातेदार कंवरलाल, भैरूलाल, कन्हैयालाल पिता नन्दराम विश्नोई, शंकरलाल, लक्ष्मीलाल, रामलाल पिता रामचन्द्र विश्नोई के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रतिवादी संख्या 02 नगर विकास न्यास भीलवाडा की और से प्रार्थना पत्र बाबत् द्विपक्षीय कार्यवाही करते हुये जवाब का अवसर प्रदान किये जाने बाबत् दिनांक 18.02.2025 को पेश किया गया। जिसके साथ प्रतिवादी संख्या 02 ने जवाब दावा भी प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादग्रस्त आराजियात नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज होने से न्याय हित में प्रतिवादी संख्या 02 को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। जवाबदावा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के जिम्मे तनकी संख्या 03 पूर्व में ही कायम की हुई है। उभयपक्ष अधिवक्ता की मजीद बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 06 में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि ग्राम हरणीखुर्द के आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी कराई जावें कि वादीगण को 11 बिस्वा भूमि को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज दुरूस्ती कराई जावें।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 की और से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम हरणीखुर्द तहसील भीलवाडा के हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 235मीन है। साबिक आराजी नम्बर 235मीन भू-प्रबन्ध से पूर्व बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी व वर्तमान में भी हाल आराजी नम्बर 576 बिलानाम है। इस प्रकार वादीगण की साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन में से 235/1 का हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा नहीं बनता है। इस प्रकार वादीगण के साबिक आराजी नम्बर 235/1 रकबा 18–19 बीघा भूमि में से हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि में वादीगण का कमी रकबा सम्मिलित नहीं है। हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होकर जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक एफ 12–3(2)(24)आरए/3610 की पालना में नामान्तकरण संख्या 442 निर्णय दिनांक 25.02.2014 से उक्त भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हो चुकी है। वादीगण का वादपत्र घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती का खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 02 नगर विकास न्यास भीलवाडा की और से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र एवं धारा 98 नगर सुधार अधिनियम को नोटिस नगर विकास न्यास भीलवाडा को नहीं दिये जाने से वादीगण का वादपत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः वादीगण का वाद निरस्त कराया जावें।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 01 को सिद्ध कराने का भार वादीगण के जिम्मे है। ग्राम हरणीखुर्द तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 235मीन/1 रकबा 18–19 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 554 से लगायत 564, 572 से लगायत 575 कुल किता 15 रकबा 15–16 बीघा भूमि नानूराम पुत्र खुमा विश्नोई साकिन देह मजरा समेलिया खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिसके प्रमाण में भू-प्रबन्ध विभाग का पर्चा खतौनी पेश किया है जो प्रदर्श–01 है। ग्राम हरणीखुर्द के खाता संख्या 41 जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में आराजी किता 15 रकबा 15–16 बीघा भूमि नन्दराम पिता खुमा विश्नोई के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी की फोटोप्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–02 है। इसी प्रकार जमाबन्दी ग्राम हरणीखुर्द सम्वत् 2054 से 2057 के खाता संख्या 48 आराजी किता 15 रकबा 15–16 बीघा भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–03 है। इसी प्रकार भू-प्रबन्ध विभाग का मिलान खसरा ग्राम हरणीखुर्द साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन की फोटोप्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–04 है। ग्राम हरणीखुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 खाता संख्या 82 में आराजी किता 15 रकबा 15–16 बीघा भूमि नन्दराम पिता खुमा विश्नोई के नाम दर्ज जिसकी फोटोप्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–05 है।

वादग्रस्त आराजियात का नक्शा किश्तवार ग्राम छोटी हरणी सम्वत् 2025–26 पेश किया जो प्रदर्श–06 है। नक्शा ट्रेस ग्राम हरणीखुर्द आराजी नम्बर 2035/1 का पेश किया जो प्रदर्श–07 है। ग्राम हरणीखुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम काबिल काश्त राजस्थान सरकार के खातें में दर्ज होकर नामान्तकरण संख्या 442 दिनांक 25.02.2014 से जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश कमांक एफ12–3(2)(24)आरए/3610 की पालना में आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हुई जिसकी सही प्रतिलिपि पेश की है जो प्रदर्श–08 है। ग्राम हरणीखुर्द की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025–28 आराजी नम्बर 235/1 रकबा 18–19 बीघा भूमि नानूराम वल्द खुमा विश्नोई के नाम की फोटो प्रति प्रमाणित पेश की है जो प्रदर्श–09 है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इस प्रकार वादीगण के पूर्वज नानूराम पुत्र खुमा विश्नोई साकिन देह मजरा समेलिया खातेदार के नाम की ग्राम हरणीखुर्द के साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन रकबा 18–19 बीघा भूमि जिसका कनर्वट रकबा 16–02 बीघा भूमि के मुकाबले हाल आराजी नम्बर 554 से लगायत 564, 572 से लगायत 575 कुल किता 15 रकबा 15–16 बीघा भूमि दर्ज हुई है। यानि 06 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना भू–प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी प्रदर्श–01 अनुसार दर्शाई गई है लेकिन हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि को वादीगण ने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिलानाम सरकार दर्ज कर देने से उक्त रकबे की घोषणात्मक व ईन्द्राज दुरूस्ती डिक्री जारी कराने की प्रार्थना की गई है जबकि ग्राम हरणीखुर्द के आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम काबिल काश्त राजस्थान सरकार के खातें से नामान्तकरण संख्या 442 दिनांक 25.02.2014 को नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हो जाने से एवं वादीगण का कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होने से वादीगण के पक्ष में घोषणात्मक एवं ईन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। वादग्रस्त ग्राम हरणी खुर्द के आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि साबिक आराजी नम्बर 235मीन दर्ज होकर आराजी नम्बर 235मीन गत भूमाफ में बिलानाम दर्ज थी एवं सेटलमेन्ट के पश्चात् हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि भी बिलानाम के खातें में दर्ज हुई जो खसरा भू–प्रन्बध विभाग सम्वत् 2025 के आधार पर प्रमाणित है जो प्रदर्श–04 है। इस प्रकार ग्राम हरणीखुर्द के हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन से नहीं बनकर साबिक आराजी नम्बर 235मीन से बने है। वादीगण का वादपत्र साबिक आराजी नम्बर व हाल आराजी नम्बर के अनुसार वादीगण का 11 बिस्वा रकबा हाल आराजी नम्बर 576 में सम्मिलित होना सिद्ध नहीं होता है। तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 02 नगर विकास न्यास भीलवाडा के जिम्मे है। वादग्रस्त हरणीखुर्द के आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ 12–3(2)(24)आरए/3610 की पालना में नामान्तकरण संख्या 442 निर्णय दिनांक 25.02.2014 से बिलानाम काबिल काश्त राजस्थान सरकार से नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार के खातें में होने से एवं इसके पश्चात् नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज होने से वादीगण को आराजी नम्बर 576 में घोषणात्मक एवं ईन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती है। यह तनकी प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

वादीगण के वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के जवाब दावा का अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त ग्राम हरणीखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन रकबा 18–19 बीघा भूमि के सेटलमेन्ट के पश्चात् हाल आराजी नम्बर 554 से लगायत 564 एवं 572 से लगायत 575 कुल किता 15 कुल रकबा 15–16 बीघा भूमि नन्दराम पिता खुमा विश्नोई साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण ने साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन रकबा 18–19 बीघा भूमि के मुकाबले हाल रेकार्ड में 16–02 बीघा भूमि दर्ज होनी चाहिये लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने 06 बिस्वा भूमि कम दर्ज करने से हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणात्मक एवं ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा के अनुसार ग्राम हरणीखुर्द के साबिक आराजी नम्बर 235मीन के हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा बनकर साबिक रेकार्ड में व हाल रेकार्ड में बिलानाम ही दर्ज थी। वादीगण की साबिक आराजी नम्बर 235/1मीन में से हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि नहीं बनती है। हाल आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व बिलानाम सरकार दर्ज होकर हाल रेकार्ड में भी बिलानाम ही दर्ज रही है। इस प्रकार आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार से नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम पर जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश से नामान्तकरण संख्या 442 दिनांक 25.02.2014 से नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित किये जाने से वादीगण का वाद घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

ग्राम हरणीखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार के खातें में दर्ज होकर जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश संख्या एफ 12–3(2)(24)आरए/3610 की पालना में नामान्तकरण संख्या 442 निर्णय दिनांक 25.02.2014 से बिलानाम काबिल काश्त राजस्थान सरकार से नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज होने से एवं ग्राम हरणीखुर्द के साबिक आराजी नम्बर 235मी. सेटलमेन्ट से पूर्व बिलानाम दर्ज होने से एवं हाल रेकार्ड में आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज होने से एवं तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित किये जाने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 का खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें तदनुसार डिक्री जारी करें।

(दि[illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2006	21.02.2006	28.04.2025

उनवान

1. रामचन्द्र वल्द नन्दरामजी विश्नोई मृतक के बजाय
1/1 – शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
1/2 – रामलाल पुत्र रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
1/3 – लक्ष्मीलाल पुत्र रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा।
1/4 – श्रीमती अणछी देवी पत्नी रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा **मृतक डिलीट**
1/5 – श्रीमती भवंरी देवी पुत्री रामचन्द्र विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा।
1/6 – श्रीमती प्रेम देवी पुत्री रामचन्द्र विश्नोई **मृतक के बजाय :–**
1/6/1 – शंकरलाल, ममता, प्रकाश माता प्रेम देवी पुत्री रामचन्द्र विश्नोई।
2. भैरूलाल वल्द नंदरामजी विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
3. कंवरलाल वल्द नंदरामजी विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा
4. कन्हैयालाल वल्द नंदराम विश्नोई उम्र वयस्क पेशा काश्त नि0 नया समेलिया तह0 व जिला भीलवाड़ा

–– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा0 भीलवाड़ा
2. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादी श्री जयकुमार जैन, उपस्थित।

2–प्रतिवादी संख्या 01 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

3–प्रति0 सं0 02 की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।

वादी की और से अधिवक्ता श्री जयकुमार जैन, एवं प्रतिवादी संख्या 02 की और से श्री श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। इस प्रकरण में – इस वाद में तारीख 28.04.25 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिकी दी जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम हरणीखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार के खातें में दर्ज होकर जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश संख्या एफ 12–3(2)(24)आरए / 3610 की पालना में नामान्तकरण संख्या 442 निर्णय दिनांक 25.02.2014 से बिलानाम काबिल काश्त राजस्थान सरकार से नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज होने से एवं ग्राम हरणीखुर्द के साबिक आराजी नम्बर 235मी. सेटलमेन्ट से पूर्व बिलानाम दर्ज होने से एवं हाल रेकार्ड में आराजी नम्बर 576 रकबा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज होने से एवं तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित किये जाने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 का खारिज किया जाता है।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा